न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 05/2018 **दायरा दिनांक : 10.05.2018**

उनवान

1– बाबूलाल पुत्र धन्नालाल, जाति गोस्वामी, निवासी पीलिया, तहसील बारां, जिला बारां

2– कैलाश पुत्र मदनपुरी, जाति गोस्वामी, निवासी पीलिया, तहसील बारां, जिला बारां

3– बंशीलाल पुत्र मदनपुरी, जाति गोस्वामी, निवासी पीलिया, तहसील बारां, जिला बारां

4– चन्द्र प्रकाश पुत्र मदनपुरी, जाति गोस्वामी, निवासी पीलिया, तहसील बारां, जिला बारां

5– राजूलाल पुत्र मदनपुरी, जाति गोस्वामी, निवासी पीलिया, तहसील बारां, जिला बारां

6– रूपाबाई बेवा मदनपुरी, जाति गोस्वामी, निवासी पीलिया, तहसील बारां, जिला बारां

7– द्वारका बाई पुत्री मदनपुरी, पत्नी केदार, जाति गुसाई, निवासी करनाहेड़ा, तहसील बारां, जिला बारां

8– रूकमा पुत्री मदनपुरी, जाति गुसाई, निवासी पीलिया, तहसील बारां, जिला बारां

9– रामकन्या बेवा सूरज्या, जाति गुसाई, निवासी पीलिया, तहसील बारां, जिला बारां

10– रामचरण पुत्र सूरज्या, जाति गुसाई, निवासी पीलिया, तहसील बारां, जिला बारां

11– रघुवीर आत्मज सुरज्या, जाति गुसाई, निवासी पीलिया, तहसील बारां, जिला बारां

12– सुशीला पुत्री सूरज्या पत्नी रामचरण गुसाई, निवासी सिरसोद, तहसील शाहबाद, जिला बारां

13– चन्दा पुत्री सूरज्या पत्नी बजरंगा, निवासी अन्ता, तहसील अन्ता, जिला बारां

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

14– मनभर पुत्री सूरज्या पत्नी पप्पू, जाति गुसाई, निवासी तिलीपुर, तहसील श्योपुर (मध्यप्रदेश)

15– सुनीता पुत्री सूरज्या पत्नी दुर्गाशंकर, जाति गुसाई, बालेता, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

.... अपीलांट

बनाम

1– रामप्रसाद पुत्र धन्नपुरी दत्तक पुत्र सुखपुरी, जाति गुसाई, निवासी पीलिया, तहसील बारां, जिला बारां

2– जानकीलाल पुत्र पन्नापुरी, जाति गुसाई, निवासी पीलिया, तहसील बारां, जिला बारां

3– भगवान प्रसाद पुत्र पन्नापुरी, जाति गुसाई, निवासी पीलिया, तहसील बारां, जिला बारां

4– राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री बृजराज किशोर शर्मा अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 09.02.2021**

यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी पी सी पेश कर कथन किया गया कि न्यायालय हाजा में जैरकार अपील संख्या 11/2012 जिला बारां बउनवानी बाबू लाल बनाम राम प्रसाद वगैरा में दिनांक 10.02.2017 को निर्णय पारित करते हुए अपीलांट द्वारा पेश की गई अपील स्वीकार फरमाकर वादीगण अपीलांट का वाद डिक्री फरमाया गया था । अपील के जैरकार रहते हुए अपीलांट कम 1 बाबू लाल का दिनांक 08.03.2013 को देहावसान हो गया था, तथा अपीलांट कम 4 चन्द्र प्रकाश का दिनांक 18.08.2016 को देहावसान हो गया था, तथा अपीलांट कम 14 श्रीमती मनभर का 3 वर्ष पूर्व देहावसान हो गया था, इस प्रकार तारीख निर्णय दिनांक 10.02.2017 से पूर्व उपरोक्त अपीलांट का देहावसान हो जाने के कारण आदेश 22 नियम 3 सी पी सी के प्रावधानों के तहत उक्त अपील पूर्व में ही अबेट हो चुकी थी, इस कारण उक्त अपील कानूनी प्रावधानों एवं माननीय सर्वोच्च

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत 2017 डी एन जे 541 एस (एस सी) के अनुसार तारीख बहस व तारीख निर्णय को न्यायालय में उक्त अपील जैरकार होना नहीं माना जा सकता है । इस कारण न्यायालय द्वारा उक्त अपील में पारित निर्णय व डिक्री प्रारम्भ से ही शून्य एवं निष्प्रभावी है । न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की पालना में अपीलांट राजस्व अभिलेखों में अमद दरामद करने पर आमादा है, जबकि कानूनन न्यायालय के निर्णय व डिक्री की कोई पालना नहीं की जा सकती है । न्यायालय द्वारा पारित निर्णय कानूनी प्रावधानों एवं न्यायिक सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है । अपीलांट के देहावसान होने के उपरान्त अपीलांट द्वारा मृतक अपीलांट के बाबत कायम मुकामी की कार्यवाही नहीं करने के कारण अपील स्वतः ही अबेट हो गई थी, इस कारण रेस्पोडेंट का उक्त अपील में उपस्थित होना कानूनन आवश्यक नहीं था । इस कारण रेस्पोडेंट व उसके अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय में जैरकार अपील अबेट होना मानते हुए न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.02.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट ने आर्डर 9 नियम 13 का प्रार्थना पत्र पेश किया । अपीलांट का देहान्त हो चुका है इनका प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे । पूर्व में न्यायालय हाजा से आदेश हुआ है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने का । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । इस न्यायालय द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.02.2017 को पारित की गई है । प्रार्थना पत्र आर्डर 9 नियम 13 सी पी सी दिनांक 10.05.2018 को पेश किया गया है जो सर्वदा मियाद बाहर है । कानूनन एक तरफा निर्णय एवं डिक्री को निरस्त करने की मियाद 30 दिवस निर्धारित है । अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र 9 नियम 13 सी पी सी के साथ पृथक से धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत कोई भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । इस तरह से बिना प्रार्थना पत्र के डिले कन्डोन नहीं किया जा सकता है एवं प्रकरण को मेरिट पर भी देखने पर स्पष्ट है कि प्रार्थी

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

रामप्रसाद द्वारा मूल अपील में दिनांक 14.10.2015 को वकालतनामा श्री अरविन्द पंचौली अभिभाषक के द्वारा पेश करवाया गया है जिसका आदेशिका दिनांक 14.10.2015 पर उल्लेख है आर्डर 9 नियम 13 के तहत एक तरफा डिक्री निरस्त करने का प्रावधान है परन्तु उक्त मामले में प्रार्थी रामप्रसाद को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिया गया है एवं प्रार्थना पत्र में जो तथ्य अंकित किये गये हैं उनका निस्तारण प्रार्थी रामप्रसाद को इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय डिक्री दिनांक 10.02.2017 के विरूद्ध उच्च अदालत में अपील पेश करना चाहिए था । इस प्रकार गुणावगुण के आधार पर भी यह प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है । फिर भी न्याय हित को देखते हुए गुणावगुण की दृष्टि से भी पक्षकार द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र भी पेश नहीं होने से अपील प्रमाणित नहीं होती है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सी पी सी मियाद बाहर होने से खारिज किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा